फर्द अहकाम

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

पत्र संख्या: 64 / 2023

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 के खाता संख्या 20 के गत खसरा नम्बर 607 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा के प्रार्थी के पति व पिता स्व० लल्लू पुत्र तेज्या उर्फ तेजा जाति बागडा ब्राह्मण साकिन देह हिस्सा 1/2 के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे, तथा उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना जीवनयापन करते आ रहे थे। उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 607 के दौराने सेटलमेटन के पश्चात हाल नये खसरा नम्बर 772 व 773 भू–प्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये लेकिन उक्त नये खसरा नम्बर 772 व 773 में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम लल्लू पुत्र तेज्या जाति बागडा ब्राह्मण निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर के बजाय राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व कम्प्यूटर की टकणीय गलती से लल्लू पुत्र तेजा जाति हरियाणा निवासी ग्राम केशोपुरा कर दिया गया जो गलत हैं। प्रार्थीगण के पिता स्व० लल्लू की इसी ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित में खसरा नम्बर 261 रकबा 0.06 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 736, 739, 747 से 752 किता 7 रकबा 2.16 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 के खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम लल्लू पुत्र तेजा जाति बागडा ब्राह्मण सा. देह खातेदार सही लिखा गया है लेकिन दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबंध कर्मचारियों की गलती से भूलवंश हाल खसरा नम्बर 772 वं 773 के रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति लल्लू पुत्र तेजा की जाति बागडा ब्राह्मण के बजाय हरियाणा ब्राह्मण कर दिया व गांव का नाम भी श्रीरामपुरा के स्थान पर केशोपुरा कर दिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण द्वारा अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही की गई तो पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया और कहा कि पहले इसको शुद्ध करवाओ। जिसकी शुद्धि किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर पुनः अपना पिता/पति लल्लू पुत्र तेजा उर्फ लल्लू लाल पुत्र तेजराम जाति बागडा ब्राह्मण निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर करवाने के कानूनी अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम लल्लू पुत्र तेजा उर्फ तेज्या उर्फ लल्लू लाल पुत्र तेजराम जाति बागडा ब्राह्मण के नामों से पुकारा जाता हैं, तथा मतदान परिचय पत्र व आधार कार्ड में भी नाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat
Date: 2024.05.21 15:22:28
Reason: SelfAttested

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 64 / 2023

लल्लू लाल पुत्र तेजराम के नाम से बना हुआ है तथा यह दोनो एक ही व्यक्ति हमारे पिता/पति हैं अन्य किसी का उक्त भूमि से कोई सरोकार नही हैं। जिसकी रिकार्ड शुद्धि किया जाना कानूनन आवश्यक व प्रार्थनीय हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित पुराने खसरा नम्बर 607 के हाल नये खसरा नम्बर 772 व 773 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता लल्लू पुत्र तेजा उर्फ लल्लू लाल पुत्र तेजराम की जाति को पुनः हरियाणा ब्राह्मण के बजाय बागडा ब्राह्मण करने व गांव का नाम केशोपुरा के बजाय पुन श्रीरामपुरा की शुद्धि करने के आदेश फरमाया जाकर तहसीलदार सांगानेर को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता लल्लू लाल पुत्र तेजराम की जाति बागडा ब्राह्मण व निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर को जवाब हेतु न्यायालय के पत्र क्रमांक कोर्ट/2022/2238 दिनांक 22/07/2022 एवं पत्र क्रमांक कोर्ट/2022/3054 दिनांक 18/11/2022, पत्र क्रमांक कोर्ट/2023 दिनांक 06/01/2023 को तहरीर जारी की गई। लेकिन तहसीलदार सांगानेर की तरफ से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित पुराने खसरा नम्बर 607 के हाल नये खसरा नम्बर 772 व 773 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता लल्लू पुत्र तेजा उर्फ लल्लू लाल पुत्र तेजराम की जाति को पुनः हरियाणा ब्राह्मण के बजाय बागडा ब्राह्मण करने व गांव का नाम केशोपुरा के बजाय पुन श्रीरामपुरा की शुद्धि करने के आदेश फरमाया जाकर तहसीलदार सांगानेर को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता लल्लू लाल पुत्र तेजराम की जाति बागडा ब्राह्मण व निवासी श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर दर्ज करने के आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Ve
Digitally signed by H
Date: 2024.05.21 15
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील

बाबूलाल बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र संख्याः 64 / 2023

सांगानेर जिला जयपुर स्थित पुराने खसरा नम्बर 607 के हाल नये खसरा नम्बर 772 व 773 की खातेदारी में प्रार्थी के पिता लल्लू पुत्र तेजा उर्फ लल्लू लाल पुत्र तेजराम की जाति को हरियाणा ब्राह्मण के स्थान पर बागडा ब्राह्मण करने व गांव का नाम केशोपुरा के स्थान पर श्रीरामपुरा अंकित करने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:22:28 IST
Reason: SelfAttested